

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांक:- प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/ 4537

दिनांक : 11/11/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।

समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय:- नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य के लिए अर्हता - स्वच्छ कार्यशील शौचालय के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-21(g) में नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी के परिसर, जिसमें वह निवास करता है, उसमें कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य का खुले में शौच के लिए नहीं जाना आवश्यक है। उक्त खण्ड (g) के स्पष्टीकरण के अनुसार स्वच्छ शौचालय से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था से है एवं परिवार के सदस्य से तात्पर्य अभ्यर्थी के पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसकी माता-पिता से है।

अभ्यर्थी द्वारा कार्यशील स्वच्छ शौचालय हेतु घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप (परिशिष्ट-1) नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र संलग्न नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षित अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक मीमो तत्काल अभ्यर्थी को देगा। मीमो का प्रारूप (परिशिष्ट-2) संलग्न है। अभ्यर्थी का अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाना आवश्यक होगा। यदि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा से पूर्व उक्त वर्णित अण्डरटेकिंग/घोषणा पत्र अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जा सकेगा।

संलग्न : 1. शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप।
2. मीमो का प्रारूप।


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

नगरपालिका निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील
स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

(देखें धारा 21(g) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री

..... निवासी

जिसने नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका* के वार्ड संख्या के
सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है।
इसमें जल-बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।
- (2) मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी*, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में
शौच के लिए नहीं जाते हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम व पता सहित)

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

दिनांक :
स्थान:

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका चुनाव
() नगरपालिका

मीमो नम्बर

दिनांक

प्रेषक,

रिटर्निंग अधिकारी,

..... नगरपालिका मण्डल/परिषद्/निगम

प्रेषिति,

.....
(अभ्यर्थी का नाम)

विषय:- नगरपालिका मंडल/परिषद्/निगम के सदस्य पद
हेतु वार्ड संख्या के लिए चुनाव।

आपने नगरपालिका मंडल/परिषद्/निगम के वार्ड संख्या
से चुनाव में खड़ा हाने के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। नाम निर्देशन पत्र के साथ
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21(g) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यशील स्वच्छ
शौचालय एवं खुले में शौच नहीं जाने संबंधी पात्रता के परीक्षण हेतु घोषणा प्रस्तुत नहीं की है।

अतः कृपया आप संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता को घोषणा पत्र प्रस्तुत करे। यह घोषणा
पत्र नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात् दिनांक को
बजे से पूर्व आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर देवें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा में
अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह भी ध्यान रहे कि आप द्वारा की गई घोषणा यदि असत्य है या सत्य
नहीं है या जिसमें कोई तथ्य छिपाया गया है तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका चुनाव